

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/पी0-4/NOC/

/2018-19

दिनांक: 11/06/2018

विषय: डी0पी0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल, करन चौराहा, सराय अकिल, कौशाम्बी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.05.2018 को आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डी0पी0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल, करन चौराहा, सराय अकिल, कौशाम्बी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय जिसके अनुपालन में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगा।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
10. सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।

